न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 10 / 2024

श्री छूट्टन लाल बैरवा निवासी 115 / 30 अग्रवाल फार्म, मानसरोवर जयपुर पिन 302020 --अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई जिला टोंक --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 01.05.2024**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनाक 29.01.2024 को प्रेषित / प्रस्तुत करने पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 49 दिनाक 31.01.2024 से लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई जिला टोक को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

थाना प्रभारी दतवास के पत्र क्रमांक 1926 दिनांक 23.07.2023 को इस इस्तगासा अंतर्गत धारा 107 / 116 (3)सीआरपीसी के द्वारा श्रीमान् कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार साहब तहसील निवाई जिला टोंक को सरकार जरिये गैरसायल 1. राजा राम पुत्र ताराचंद जाति गुर्जर उम्र 43 साल निवासी दतवास थाना दतवास जिला टोंक एवं 2. कैलाश पुत्र आनंदीलाल जाति गुर्जर उम्र 30 साल निवासी मोटूका थाना दतवास जिला टोंक को पाबंद करने हेतु प्रस्तुत किया,उपरोक्त गैर सायल को जारी पाबंद नोटिस की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई को पत्र कमांक 268 दिनांक 12.03.2024, 364 दिनांक 26.03.2024, व 385 दिनांक 9.04.2024 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई ने आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 मे सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा

जिला कलेक्टर
टोंक

आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक